उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 046265

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 10,62,298/-
बाजारू मूल्य : रु0 4,92,200/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 1,06,300/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख सुनहरा पत्नी स्व0 सुखदीन, नन्हकेश व अनन्तराम [illegible] व गुलशाना नाबालिग [illegible] द्वारा संरक्षिका माता सुनहरा, पुत्रगण स्व0 सुखदीन,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री [illegible] पुत्र [illegible]
जाति [illegible] निवासी [illegible]
ने यह विलेख [illegible] कार्यालय [illegible]
में आज दिनांक [illegible] समय [illegible]
मय मुवलिग [illegible] फीस के प्रस्तुत किया
[illegible] प्रस्तुत किया

उप निबंधक
[illegible]

निष्पादन लेखपत्र को सुनने व समझने के बाद
व प्राप्त धन राशि [illegible]
साक्ष्य [illegible]
स्वीकार किया [illegible]

[illegible]

उप निबंधक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 045256

निवासीगण–ग्राम–युसुफ नगर, बनियापक, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् आशा पाल पुत्र काली, निवासी–मिर्जापुर, पिपरी, पोस्ट–मलवां, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण सत्यापित चतुर्वर्षीय खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 031 में खसरा

आदर्श [illegible]

17.1.86

[illegible]

[illegible] पहचान श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048287

संख्या–77 रकबा 0.895 हेक्टेअर का 1/2 अर्थात 0.448 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–यूसुफ नगर, बनियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है। उपरोक्त विक्रीत पंचवार्षिक खतौनी क्रम संख्या–51 के आधार पर विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो चुका है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048285

मे बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

₹. 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

₹. 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

048289

या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 10,62,298/- (रुपया दस लाख बासठ हजार दो सौ अट्ठानबे मात्र) के प्रतिफल में, जिसका कि उपरोक्त क्रेता

5000Rs.

71895

द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बेचाई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त

1000Rs.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 611908

आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983950

एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983951

ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 983952

उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर, बगियामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रित भूमि 0.448 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,92,800/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य

से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,06,300/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : <u>विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 051 के खसरा संख्या–77 रकबा 0.895 हेक्टेअर का 1/2 अर्थात 0.448 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–युसुफ नगर, बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न0 77

पूरब	: खसरा संख्या–78 व 81
पश्चिम	: खसरा संख्या–76
उत्तर	: खसरा संख्या–16 व 17
दक्षिण	: चक रोड

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रू0 10,62,298/- (रुपया दस लाख बासठ हजार दो सौ अट्ठानबे मात्र) में से सुन्दरा को उसका व उसके नाबालिग पुत्र की विक्रीत जमीन का प्रतिफल रू0 5,31,149/- दो चेकों के माध्यम से क्रमशः रू0 5,00,000/- व 31,149/- क्रमशः चेक संख्या 457571, 457572 जगदीश को रू0 2,65,574 चेक संख्या 457573, तथा अनन्तराम को रू0 2,65,575 चेक संख्या 457574, सभी चेक दिनांकित 17.06. 2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

नोटः- इस विलेख के प्रथम पृष्ठ के दूसरी लाइन में अनन्तराम व सुखराना नाबालिग लिखा हैं बाकी कटा हुआ है।

लखनऊ

दिनांकः 17.06.2006

गवाह

1. Sunil Kumar S/o Shri R.P. Singh
S-14, Sai Kirpal Commercial Complex

विक्रेतागण

2. सुनील कुमार s/o अमरदास
महिला भवन, लखनऊ

क्रेता

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अम्बर हुसैन)

एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता/हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

नक्शा - नजरी

ग्राम :- [illegible]

खसरा नं. :- [illegible]

विक्रेता :- [illegible]

क्रेता :- [illegible]

200 मी. त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित प्रमुख प्रतिष्ठानों का विवरण

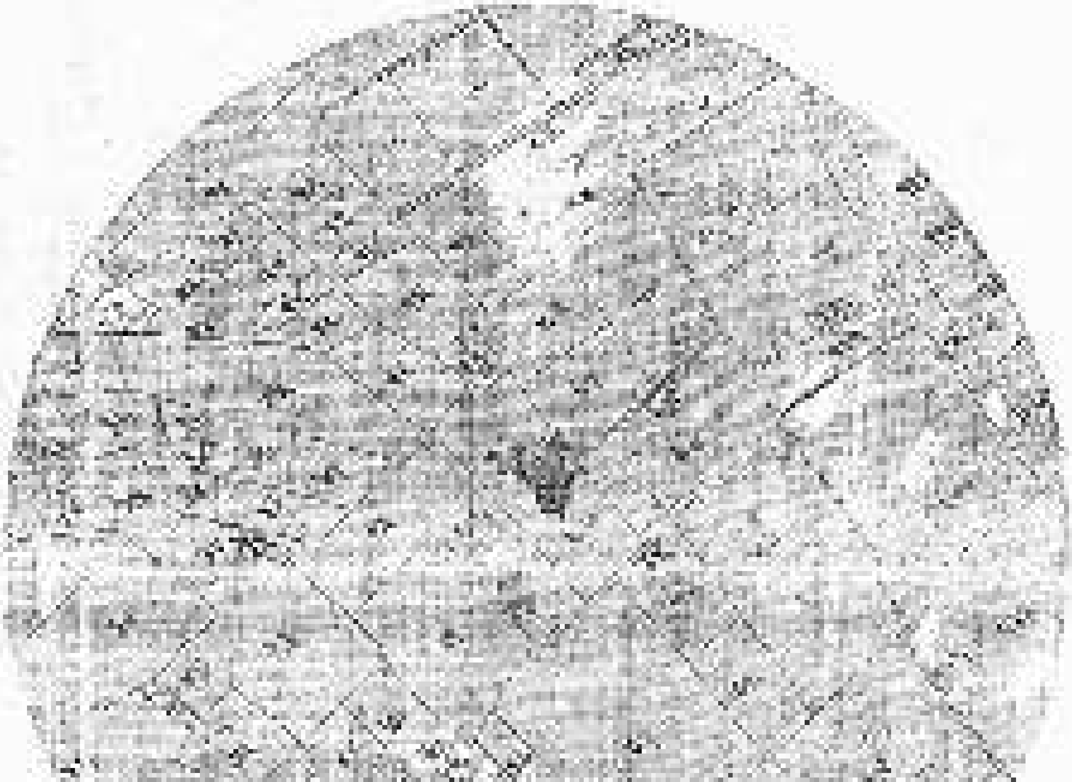

आज दिनांक 12-606 को 7648

पुस्तक संख्या 1 खण्ड के

पृष्ठ 56 पर क्रम संख्या 5292

रजिस्ट्री किया गया ।

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ